संडे स्टोरी | रेलवे द्वारा बनाये जा रहे उम्मीद कार्ड से कुली नाखुश

स्टेशनों का विकास लेकिन सुविधा के लिये कुली मोहताज

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। भारतीय सिनेमा की सुपरहिट फिल्म कुली का एक प्रसिद्ध गाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते है, हमारे दुर्गम सफर को सुगम बनाने वाले कुली समाज के ऊपर फिल्माया गया था। लेकिन आज वही कुली समाज स्वास्थ सेवाओं और अन्य सुविधाओं के आभाव में कुचलता चला जा रहा है। शनिवार को जबलपुर रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले 98 कुली समाज के लोगों से नवभारत द्वारा चर्चा की गई और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली गई। जिसपर कुली सभाजीत यादव ने बताया कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के काम को निजी हाथों में दे दिया है, जिससे कुली समाज बेरोजगार होता जा रहा है। सीजन के वक्त मासिक 15 हजार कमाने वाले सभाजीत यादव ने बताया कि इस दौर में इतनी राशि से घर चलाना अब मुश्किल हो गया है। ऑफ सीजन के समय तो दिनभर में मात्र 200 - 250 रुपए से ही संतोष करना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि हम लोगों को कामों को निजी हाथों में सौंपे जाने का कड़ा विरोध करते है। हमने इन समस्याओं को उच्चाधिकारियों के सामने कई बार उठाया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पॉलिसी लाकर 20 हजार कुलियों को रेलवे में नौकरी दी थी। लेकिन अब 60 वर्ष की आयु के बाद घर में किसी को भी नौकरी नहीं दी जाती है। साथ ही पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है।

इलाज का मुद्दा सबसे बड़ा

कुली भुवन यादव ने बताया कि 9 मार्च 2019 से रेलवे बोर्ड द्वारा हम कुलियों के लिए भी रेलवे अस्पताल में मेडिकल संबंधी अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। लेकिन कोरोना के बाद इस मुहिम को बंद कर दिया गया। अब हम सभी को कार्य के दौरान लगने वाली चोट को लेकर प्राइवेट या दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। रेलवे द्वारा उम्मीद कार्ड बनाए गए है लेकिन हम लोगों के लिए उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आगे बताया कि हम लोगों का बोझ उठाते हैं और फिर रेलवे हमें भूल जाता हैं कुलियों के दर्द को सुनने-समझने वाला कोई नहीं है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे, तब वो कुलियों या उनके परिवार एक व्यक्ति को रेलवे नौकरी देने के लिए एक नीति लाए थे उस वक्त इस नीति के तहत करीब 22 हजार कुलियों को नौकरी दी गई थी।

मिलनी थीं ये सुविधाएं

मालूम हो कि वर्षों पहले 9 मार्च 2019 को रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे के 20 हजार लाइसेंसशुदा कुली और सहायकों को रेल कर्मचारियों जैसी मेडिकल सुविधाएं देने का एलान किया था। इसके तहत कुली और सहायकों का उनके बीवी-बच्चों सहित रेलवे अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना था। वही यूनिफॉर्म कुलियों को अभी हर साल में दो सूती लाल शर्ट मिलती थी। इसके अलावा हर दूसरे साल एक लाल शर्ट के बदले में एक ऊनी शर्ट मिलती है। हालांकि नए नियमों के तहत अब उन्हें हर साल तीन लाल शर्ट और एक ऊनी शर्ट मिलनी थी। मालूम हो कि पहले स्टेशनों पर सहायकों के लिए रेस्ट रूम की सुविधा थी। अब 50 से अधिक सहायकों वाले स्टेशनों पर उनके लिए रेस्ट रूम उपलब्ध कराए जाने थे। इनमें टीवी, आरओ वाटर और बेड आदि जरूरी सुविधाएं होंगी थी। लेकिन मुख्य रेलवे स्टेशन में बने रेस्ट रूम में आज तक सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है। बता दें कि ये सारी सुविधाएं रेलवे बोर्ड से सुकृत की जा चुकी है। इसके अलावा सहायकों को सुविधा और हल्की ट्रालियों आदि को आसानी से इधर-उधर कराने के लिए स्टेशनों पर विशेष कॉरिडोर बनाने का निर्णय भी लिया गया था।

शिक्षा सबका अधिकार

2019 में किए गए बदलाव में शिक्षा सबसे अहम हिस्सा थी जिसमें कुली किसी भी डिवीजन के किसी भी रेलवे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। पहले केवल तैनाती वाले रेलवे डिवीजन में ही उन्हें ये सुविधा मिलती थी। पोर्टर और सहायकों के लिए किसी अन्य सुविधा का फैसला जोन महाप्रबंधक अपने स्तर पर ले सकते थे। इसके लिए उन्हें रेलवे बोर्ड की ओर से अधिकार दे दिए गए थे।

मुफ्त ट्रेन पास भी था

इतना ही नहीं इन्हें मुफ्त ट्रेन पास जैसी बेहतर सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया था बता दे कि स्टेशनों पर सामान ढुलाई समेत यात्रियों को विविध सेवाएं देने वाले कुली और सहायक रेलकर्मियों की भांति अपना इलाज रेलवे अस्पतालों में करा सकते थे। लेकिन न जाने क्यों कोरोना के बाद से इसपर ब्रेक लगा दिया गया। मालूम यह भी चला है कि जिन कुली और सहायकों ने अपना नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में दर्ज कराया है, उन्हें भी यह सुविधा पाने का हक होना था। उनके इलाज पर आने वाला खर्च रेलवे आयुष्मान विभाग को वसूल करना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुली सभाजीत यादव ने कहा कि अगर सरकार ये सुविधाएं दे भी देती है तो उसका हमें क्या फायदा है, जब हमारे काम को निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी अपना आदमी रखकर काम कराएगी। जब हमारे पास काम ही नहीं बचेगा तो हम न अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना अपना घर चला सकते हैं।

उन्होंने सरकार से मांग है कि जैसे 2008 में कुलियों को समायोजित किया गया था, वैसे ही बाकी लोगों को भी समायोजित किया जाए। पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था कि 18 से 50 साल के कुलियों को समायोजित किया इसके बाद जो लोग बचेंगे, उनके बच्चों को भी नौकरी दी जाएगी लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ हमारी मांग है कि सभी कुलियों को रेलवे के अंदर समायोजित किया जाए।

इनका कहना है

आज भी मेडिकल के लिए हमें दर-दर भटकना पड़ता है। रेलवे बोर्ड को हमारी समस्या सननी चाहिए। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।
सभाजीत यादव, कुली

आशा करते हैं रेलवे हमारे हक में फैसला लेगा हमारी मांगों को सम्मान देगा हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, हम यही चाहते हैं
शशिकांत यादव कुली

रेलवे अब सारा काम निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं इससे हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा हम लोगों का घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
भुवन यादव, कुली

आपके द्वारा हमारे कुली भाइयों की समस्या मेरे सामने आई है। इस पर मैं अध्ययन कर एवं रेलवे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी लेकर जो बेहतर हो सकेगा उसे लागू करूंगा।
कमल कुमार तलरेजा डीआरएम जबलपुर मंडल

दफ्तरों के गलियारे

मैडम के कारण सबकी दुकानें हो गईं बंद

हाल ही में रिश्वत लेते हुए परिवहन विभाग की एक मैडम को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। मैडम द्वारा ली गई घूस में पकड़े जाने के बाद परिवहन विभाग के कुछ कथित अधिकारी-कर्मचारियों की भी दुकानें बंद सी हो गई हैं, जो चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन चालकों से चलती थी। उस कार्यवाही का ऐसा खौफ देखने को मिला है कि जगह-जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर जो अवैध वसूली हो रही थी, उस पर लगाम लग गई है। मैडम के पकड़े जाने के बाद विभाग के काफी लोगों में भी भय का माहौल है, जो इस काले कारनामे से जुड़े थे। यही कारण है कि अब हाईवे पर परिवहन विभाग की टीमें नजर आना बंद हो गई है। देखना होगा कि इस कार्यवाही का असर कब तक विभाग में रहेगा।

जाने कब थमेगा विवाद ....!

राज्य के वकीलों की सबसे बड़ी संस्था के होने वाले चुनावों में उठने वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चुनावी कार्यक्रम को पूरा कराने वाले अधिकारियो की नियुक्ति पर हो या अब मतदाता सूची, विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इसी पर टिप्पणी करते हुए परिषद के दो वरिष्ठ वकील साहब आपस में चर्चा करते हुए बोल बैठे की, यह चुनाव अब चुनाव ही नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध बनता जा रहा है। आगे-आगे देखिए जब तक मतदान न हो जाए तब तक ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे।

अब तो हम लोग ऑन ड्यूटी में भी नहीं है सुरक्षित....

अरे भाई, अब तो हम लोग ड्यूटी में नगर निगम परिसर के भीतर बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, ये बड़े साहब तो सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में चूर हो चुके हैं। ये बातें नगर निगम के मुख्यालय के गलियारों में जब कर्मचारियों के बीच हुई तो किसी न किसी काम से लाल बिल्डिंग पहुंचे आवेदक थोड़ी देर के लिए हैरान नजर आए। बाद में कुछ देर उन कर्मचारियों की लोगों ने बात सुनी तो पता चला कि जो कर्मचारी ये बात कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम के स्थापना अधीक्षक को विभाग में काम करते वक्त 3 युवकों ने कार्यालय में घुसकर पीट दिया था। उधर दूसरी तरफ निगम के गलियारों में ये भी चर्चाएं जोरों पर थीं कि जब स्थापना अधीक्षक के साथ मारपीट की घटना हुई तो फिर उन्होंने ओमती पुलिस थाने में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई।

सुबह का कांड, देर रात तक डैमेज कंट्रोल

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर घंटों धूप में खड़े होकर सजा काट चुके टीआई का नया कांड सामने आया हैं। दरअसल टीआई साहब की संगीन जुर्म के आरोपी से वफादारी, यारी कुछ ज्यादा ही गाढ़ी निकली। वारदात सुबह हुई, लेकिन जनाब का प्यार देखिए दिन भर तो छोड़िए, देर रात तक वे आरोपियों के नाम पर सफेद रफू करने में मशगूल थे शायद वे भूल थे कि वर्दी का फर्ज अपराधी को पकड़ना होता है, उसे बचाना नहीं। जैसे ही यह यारी वाला खेल बड़े साहब के कानों तक पहुँचा तो उनका पारा सातवें आसमान पर जा पहुँचा तो उन्होंने तगड़ी फटकार लगाई। छोटे साहब की सिट्टी-पिट्टी गुम हुई आनन-फानन में टीम अस्पताल दौड़ी, मरणासन्न लोगों के बयान हुए और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। अब यारी निभाने वाले टीआई साहब पर विभागीय कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं।

अमन पटेल, धनंजय श्रीवास्तव, विवेक दुबे, अजहर खान

एसआर मॉल पर लगा 2.40 लाख का जुर्माना

बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कार्रवाई

जबलपुर। विजय नगर स्थित प्रसिद्ध एसआर मॉल द्वारा बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम ने 2,40,000 रुपये की भारी पेनाल्टी लगायी।

जानकारी के अनुसार नगर निगम को सूचना मिली थी कि एसआर मॉल प्रबंधन द्वारा अपने परिसर में विज्ञापनों का प्रदर्शन बिना किसी वैधानिक पंजीकरण के किया जा रहा है। यह कृत्य एम.पी. आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे विज्ञापनों और होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाया। निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए

चस्पा किया गया नोटिस

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल पेनाल्टी लगाई, बल्कि मॉल परिसर में नोटिस चस्पा कर सख्त चेतावनी भी दी। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ठाकुर, होर्डिंग शाखा उपयंत्री अंकित चौधरी, बाजार विभाग से शक्ति रजक आदि उपस्थित रहे।

कानून के किस प्रावधान के तहत बिना एफआईआर दर्ज किये की गई जांच

हाईकोर्ट ने कहा, नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से पेश करें हलफनामा

जबलपुर। संज्ञेय अपराध की शिकायत पर पुलिस के द्वारा बिना एफआईआर दर्ज किये विवेचना किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस विभाग कानून में दिये गये प्रावधान तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्यान नही दे रहा है। युगलपीठ ने नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि इस संबंध में वह व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करें। याचिका पर अगली सुनवाई 31 मार्च को निर्धारित की गयी है।

जबलपुर निवासी कसीमुद्दीन कुरैशी की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि नरसिंहपुर जिले के ग्राम बोरीपार निवासी उसका भाई गयासुद्दीन कुरैशी 26 मार्च 2025 एक हादसे का शिकार हो गया था। जिसे उपचार के लिए जबलपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके अगले दिन 27 मार्च को उसे उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया था। नागपुर में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। अपील में कहा गया था कि जबलपुर स्थित अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में उसके भाई के सीने में चोट के निशान बताये गये थे। मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि होने के कारण मौत के कारण को सामान्य नहीं माना जा सकता है।

भाई के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन किया था। आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गयी थी।

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि मृतक को 27 मार्च 2025 को दफनाया गया था। रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम में कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया था। सिर्फ आशंका के आधार पर पुन: पोस्टमार्टम करने के आदेश जारी नहीं किये जा सकते है।अपील की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ बताया गया कि नरसिंहपुर जिले के स्टेशन गंज थाना के एसएचओ ने जांच करते हुए संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे। जांच में पाया गया कि मामला एफआईआर दर्ज करने योग्य नहीं है। युगलपीठ ने हैरानी जताते हुए पूछा कि संज्ञेय अपराध में बिना एफआईआर दर्ज किये कानून के किन नियमों के तहत जांच कार्यवाही की गयी। सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश तथा नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार जांच की गयी थी। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अधीक्षक व न्यायालय बिना एफआईआर दर्ज किये बिना कैसे जांच के आदेश जारी कर सकते है। युगलपीठ ने इस संबंध में नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक तिवारी ने पैरवी की।

चौबीस घंटे में गांव खाली करने के आदेश को चुनौती

दमोह के कुलुआ मारूताल गांव को चौबीस घंटे में खाली करने के प्रशासनिक आदेश को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश से गांव खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने दमोह कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह जनहित याचिका दमोह जिले की दमयंती नगर तहसील अंतर्गत ग्राम कुलुआ मारूताल के सरपंच नारायण राय की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि हालही में कलेक्टर व तहसीलदार ने उक्त गांव को चौबीस घंटे में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके पीछे का कारण उक्त जमीन हाउसिंग बोर्ड को सौंपना बताया गया है। आवेदक का कहना है कि उक्त गांव में वह दशकों से रह रहे है, इस तरह अचानक से उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। यदि गांव खाली कराया जाता है तो पहले उनका पुनर्वास किया जाये। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हंसराज भारती ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि बिना विस्थापन किये अपनाई जा रहीं उक्त कार्रवाई पूर्णत: अनुचित है। मामले में सचिव राजस्व विभाग, दमोह कलेक्टर व दमयंती नगर तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अंतरिम आदेश से बेदखली पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

खाली बोतलों में नल का पानी बेचते दो गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत और जेब के साथ खिलवाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रेल सुरक्षा बल और वाणिज्य विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए दो अवैध वेंडरों को रंगे हाथों दबोचा। आरोपी स्टेशन के नलों से साधारण पानी भरकर उसे नामी ब्रांड की बोतलबंद बताकर 15 रुपये में यात्रियों को बेच रहे थे।

पकड़े गए आरोपितों की पहचान बेलखाडू (कटंगी) निवासी दिनेश तिवारी (42) और उड़िया मोहल्ला (छोटी ओमती) निवासी ओम यादव (23) के रूप में हुई है। ये जालसाज पुरानी खाली बोतलें और नए ढक्कन जुटाकर उनमें प्लेटफार्म के नलों से पानी भरते और फिर उन्हें सीलबंद कर यात्रियों को बेच देते थे। आरपीएफ ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में खाली बोतलें और ढक्कन बरामद किए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए केवल रेलवे के अधिकृत स्टालों और वेंडरों से ही बोतलबंद पानी या खाद्य सामग्री खरीदें।

नर्मदा तट पर प्रदूषण : 22 दुकानों पर जुर्माना

जबलपुर, नवभारत। नर्मदा के पवित्र तट गौरीघाट को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की। माँ नर्मदा की शुद्धता को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक कोटेड दोनों के उपयोग और बिक्री को रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया। गौरीघाट में प्लास्टिक कोटेड दोने बेचने वाले 22 दुकानदारों पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि नर्मदा पूजन और दीपदान के लिए प्लास्टिक कोटेड दोनों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, कई दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान ऐसे 22 दुकानदारों को चिन्हित किया गया जो दीपदान के लिए प्लास्टिक कोटेड दोने बेच रहे थे। नगर निगम ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सख्त रुख अपनाते हुए इन दुकानदारों के चालान काटे और मौके पर ही 4800 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला। निरीक्षण के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कोटेड दोने जप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग के दल ने व्यापारियों को समझाया कि वे केवल पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का ही उपयोग करें, ताकि नर्मदा की अविरलता और स्वच्छता बनी रहे। कार्यवाही के समय सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक वैभव तिवारी, स्वास्थ्य निरीक्षक अमन चौरसिया और सुपरवाइजर सुरेश, राजेश, राज अर्खेल एवं अमर उपस्थित रहे।

ADMISSION OPEN
BULBUL KINDS KINGDOM HIGH SCHOOL
ENGLISH MEDIUM CBSE PATTERN
UNIFORM FREE Nursery, LKG, UKG & 1st to 10th web : bulbulkidskingdom.com
New Ram Nagar, Amkhera Road, Adhartal Jabalpur 9301408550, 6266655219,9301408551

SHIVAM CERAMIC JABALPUR QUTONE
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

यात्रा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय और पुराना नाम
शिव तीर्थ यात्रा
सन 1970 से लगातार आपकी सेवा में. ग्राम-पीपरपानी, जिला-मण्डला (म.प्र.) संचालक : पं. शिवप्रसाद दुबे
बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा
यात्रा दिनांक:- 09 मई 2026
यात्रा राशि में सम्मिलित सुविधायें: 1. सुबह चाय एवं नाश्ता, शाम (रात्रि) में स्वयं निर्मित शुद्ध सात्विक भोजन (दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, सलाद, रायता आदि।) 2. थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच एवं विश्राम हेतु गद्दे की व्यवस्था। 3. उपवास पड़ने पर दोनों समय यात्रियों को फलाहार एवं फल की व्यवस्था। 4. ठहरने हेतु अच्छे धर्मशाला एवं यात्री निवास की व्यवस्था। (यात्रीगण यदि अलग से कमरा लेते है तो वह खर्च यात्री को वहन करना होगा।) 5. आरामदायक सुविधाजनक स्लीपर बस एवं मोबाईल चार्जिंग की सुविधा। 6. यात्रा के दौरान अनुभवी संचालक एवं कुशल कर्मचारियों की सुविधा।
यात्रा की विशेष जानकारी: 1. बुकिंग चालू है, कृपया 5000/- की एडवांस जमा कर अपनी सीट सुरक्षित करें। 2. यात्रा के दौरान ऑटो, ई-रिक्शा, पालकी, घोड़ा, हेलीकाप्टर का खर्च यात्रियों को स्वयं वहन करना होगा। 3. केदारनाथ धाम में रात्रि में रूकने एवं भोजन का खर्च यात्री को स्वयं देय होगा। 4. यात्राकाल में सहयोग अपेक्षित है एवं संचालक का निर्णय मान्य होगा।
यात्रा के मुख्य तीर्थ स्थल - मण्डला, जबलपुर से प्रयागराज (त्रिवेणी संगम स्नान), बनारस, अयोध्या धाम रामलला दर्शन, नैमीषारण्य, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुरूक्षेत्र, चितौड़गढ़ सांवरिया सेठ, पुष्कर तीर्थ, सालासर बालाजी, श्री खाटू श्याम, जयपुर, मेंहदीपुर बालाजी, ओरछा (राजा राम मंदिर), बागेश्वर द्वारा, जबलपुर-मण्डला।
ए.सी. स्लीपर कोच बस द्वारा 20 दिवसीय यात्रा
यात्रा राशि (प्रति व्यक्ति) ऊपर स्लीपर - 31000/- नीचे स्लीपर-33000/-
इस यात्रा राशि में पहाड़ की बस एवं होटल खर्च शामिल है
यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, पं. वैभव दुबे-9302626840, पं. योगेश दुबे-7049280956

केवल दवाइयों द्वारा हार्ट का इलाज
बिना एंजियोग्राफी
बिना एंजियोप्लास्टी
बिना बाईपास सर्जरी
बिना भर्ती किये
Google 4.9 STAR
23 वर्ष के अनुभव के साथ
हृदय रोग विशेषज्ञ
सटीक सलाह से 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ
समय 11.00 से 5.00
स्पंदन हार्ट क्लीनिक डॉ. अतुल महेरे
पता-भंवरताल पार्क चौराहा, नेपियर टाउन, जबलपुर मो.-7805082378

नवरात्रि एवं ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
JYOTI INNER ZONE
10% से 15% तक की भारी छूट
LUX cozi INNER WEAR | AMUL MACHO | JOCKEY | RUPA | DIXCY SCOTT
1222, Main Road Ganjipura, Near Super Market, Jabalpur (MP) 0761- 4038008

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57